Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding disability certificates to persons suffering from Hemophilia, Thalassemia and Sickle-Cell diseases.

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): मैडम, मैं आज इस सदन का ध्यान दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार के लिए हमने दो साल पहले दि राइट्स ऑफ डिसएबल्ड पर्सन्स एक्ट, 2016 कानून बनाया, जिसके तहत विभिन्न प्रकार की डिसएबिलिटीज निश्चित की गईं। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमैंट ने 4 जनवरी, 2018 को एक नोटिफिकेशन के जरिए डिसएबिलिटीज का असेसमैंट और दिव्यांग सर्टिफिकेट्स देने के लिए गाइडलाइंस भी जारी की हैं। इसके बावजूद कई राज्यों में ब्लड डेफिशिएंसी को लेकर जो डिसएबिलिटीज होती हैं, जैसे हिमोफीलिया, थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, जिन्हें कानून के तहत डिसएबिलिटी करार दिया गया है, लेकिन उन व्यक्तियों को डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से उन्हें कई सरकारी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है।

यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज की भर्ती के लिए 7 फरवरी, 2018 को नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें दिव्यांगों के लिए 2016 में जो आरक्षण रखा गया था, उसके अनुसार सभी प्रकार के दिव्यांग व्यक्ति इस आरक्षण के लाभार्थी होंगे। इसके बावजूद उनका जो फॉर्म आता है, उसमें ब्लड डिसएबिलिटी से अफैक्टिड जो लोग हैं, उनका यह फॉर्म भरा नहीं जाता, क्योंकि उसके अंदर यह ऑप्शन नहीं है तो उससे वे वंचित रह जाते हैं।

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरी यह दरख्वास्त है कि पर्सनल और ट्रेनिंग मंत्रालय, जिसके अधीन यह एग्ज़ामिनेशन लिया जाता है, उस मंत्रालय को इन डिसेबल्स को भी इसमें शामिल करने को कहा जाए। इसके साथ ही हरेक राज्य को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देने के लिए जल्द से जल्द वहां की सरकारों को सूचित करें।

माननीय अध्यक्ष:

डॉ. कुलमणि सामल,

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री भैरों प्रसाद,

श्री अरविंद सावंत,

प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़,

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे,

श्री दुष्यंत चौटाला को डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेद्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।